न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 09/2021(2021/00124)

अनवान : –

कुरडाराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. बलवान सिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा।
2. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री सुनील बैनीवाल प्रार्थी
श्री मुंशीराम गोस्वामी अप्रार्थी

आदेश दिनांक : 25/10/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 जेएसएल के मु0न0 35 के किला न0 6, 7, 8, 13, 14 की कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि प्रार्थी कुरड़ाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि चक 7 जेएसएल के मु0 न0 27 के किला न0 21 ता 23, मु0 न0 36 के किला न0 1, 2, 9, 10 इस प्रकार कुल किता 7 की कुल 1.771 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता अप्रार्थी बलवान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि अप्रार्थी बलवान सिंह के मु0 न0 27 के किला न0 21 व मु0 न0 36 के किला न0 1 में पश्चिम तरफ स्वीकृत रास्ता चालू है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए आगे कोई स्वीकृत रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में मु0 न0 35 के किला न0 6 में जाने के लिए अप्रार्थी के मु0 न0 36 के किला न0 10 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण एक–एक गट्ठा चौडा रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन कर सकता है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई आवागमन हेतु रास्ता नही है। प्रार्थी मु0 न0 27 के किला न0 21 मु0 न0 36 के किला न0 1, 10 से पश्चिम तरफ अपनी कृषि भूमि में आवागमन करता आ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी ने ईकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी आपसी राजीनामा से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

प्रकरण संख्या 09/2021 कुरड़ाराम बनाम बलवान सिंह आदि बाबत रास्ता

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया जाकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये अप्रार्थी बलवान सिंह के नाम चक 7 जेएसएल के मु0 न0 36 के किला न0 10 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर 0.013 है0 यानि 8–1/4 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़